

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक एफ.1(अ)(5) स्था./डीटीए/ 1294-1301

दिनांक : 27.09.2017

कोषाधिकारी (शहर/ग्रामीण) जोधपुर,
कोषाधिकारी (शहर) उदयपुर।

विषय :- मंत्रालयिक संवर्ग की संशोधित कैडर स्ट्रैन्थ के पुर्नगठन बाबत।

प्रसंग :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ.1(अ)(5) स्था./डीटीए/907-982 दिनांक 08.08.2017

महोदय,

निदेशालय के प्रासंगिक पत्र के द्वारा जारी मंत्रालयिक संवर्ग की संशोधित कैडर स्ट्रैन्थ के पुर्नगठन की स्वीकृति जारी की गई थी। इसमें क्रम संख्या 1 कोष एवं लेखा (मुख्यालय) में स्वीकृत पदों का कार्य व्यवस्था के तहत निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाता है :-

क्र. सं.	विभाग/कोषालय का नाम	पदनाम						योग
		कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी	संस्थापन अधिकारी	
1.	कोष एवं लेखा (मुख्यालय)	26	22	14	12	04	02	80
2.	कोषालय (शहर) जोधपुर (कार्य व्यवस्था के तहत)	—	02	—	—	—	—	02
3.	कोषालय (ग्रामीण) जोधपुर (कार्य व्यवस्था के तहत)	—	01	—	—	—	—	01
4.	कोषालय (शहर) उदयपुर (कार्य व्यवस्था के तहत)	04	02	—	—	—	—	06
	योग	30	27	14	12	04	02	89

कोषालयों में उक्त पद कार्य व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से आवंटित किए गए। इन पदों पर वहां कार्यरत कार्मिकों के सेवानिवृत्ति/निधन/स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पद होने पर कोष एवं लेखा (मुख्यालय) में समाहित हो जावेगें। इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति होने पर पद स्वतः उन्नयन हो जावेगा। इन कार्मिकों की वरिष्ठता कोष एवं लेखा (मुख्यालय) के तहत रहेगी। इस आदेश के अनुसार कोषालयों को आवंटित पद पूर्व आदेश द्वारा कोषालयों को आवंटित पद कोष एवं लेखा मुख्यालय को स्वीकृति पदों में से अस्थायी रूप से आवंटित किए गए हैं।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.1(अ)(5)/स्था./डीटीए/ 1294-1301

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर।
3. अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट)।
4. उपनिदेशक (आई.टी.) निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. लेखा शाखा।
7. रक्षित पत्रावली।

दिनांक : 27.09.2017

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)